संख्या:3079/नौ-7-12-16ज./2012

प्रेषक,

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद उ.प्र.।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 2012

विषयः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अनधिकृत कब्जे, अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाया जाना।

महोदय,

नगरों में बढ़ता अतिक्रमण वहॉ की स्थायी और विकराल समस्या बनती जा रही है। अतिक्रमण से जन-असुविधा के साथ-साथ यातायात प्रभावित होता है, फलस्वरूप वाहनों के टकराव से दुर्घटनायें होती हैं, जिसमें जान-माल की हानि होती है। इस प्रकार के घायल व्यक्तियों के उपचार आदि पर व्यय एक प्रकार की राष्ट्रीय क्षति है, जो अनेक प्रकार से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अपूर्णनीय होती है। बढ़ते अतिक्रमण और वाहनों की संख्या नगर प्रशासन के लिये एक गम्भीर चिंताजनक समस्या होती जा रही हैं। इस विषय की गम्भीरता इतनी हो रही है कि मा. उच्च न्यायालय तक को वर्तमान में विद्यमान व्यवस्था में हस्तक्षेप और समीक्षा करनी पड़ रही है। नागर निकायों द्वारा अपने निर्धारित कर्तव्यों के अनुपालन में प्रायः नियमित रूप से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये अतिक्रमणों को समय-समय पर हटाया जाता है, परन्तु कुछ निकायों द्वारा प्रभावी रूप से इस क्षेत्र में कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रायः जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समय पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है तथा कभी-कभी यदि अतिक्रमण हटाये भी जाते हैं, तो वे पुनः उसी क्षेत्र में प्रकट हो जाते हैं। इस संबंध में मा. उच्च न्यायालय में समय-समय पर दाखिल रिट याचिकाओं की सुनवाई के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में मा. उच्च न्यायालय द्वारा लखनऊ महानगर के संबंध में पुलिस के दायित्व का निर्धारण किया गया है। मा. न्यायालय के आदेश पूरे प्रदेश पर प्रभावी हैं तथा इनका उल्लंघन अवमानना की श्रेणी में आयेगा। मा. न्यायालय द्वारा पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः

Order dated 06.04.2005 (writ Petition No.2435(M/B) of 2001)

".....The Senior Superintendent, Lucknow shall provide the necessary force to the Nagar Nigam for removing the encroachment from the footpaths, pavements, public roads and streets, He shall also ensure that the in charge/Beat in charge of the concerned Police Stations shall take all necessary steps for removing the encroachments from the foot paths, pavements. public roads, streets etc in their respective areas....."

Order dated 17.05.2005 (Writ Petition No.2435(M/B) of 2001)

"any encroachment is made on the footpaths and pavements then the responsibility will be of the 'In charge' of the concerned police station and the Superintendent of the police of the area shall be accountable for the same....."

E.mail. so7 urbandev-up@nic.in

Order dated 27.02.2006 (Writ Petition No.2435(M/B) of 2001)

".....the Nagar Nigam, the Development Authority, the Public works Department and the local police shall remove all the encroachment from the foot paths. pavements roads and street and ensure that the encroachment which was removed earlier do not recur..."

Order dated 09.05.2008 (Writ Petition No.2435(M/B) of 2001)

".....In the meantime, the Public Works Department, the Lucknow Development Authority, the Lucknow Nagar Nigam and the U.P. Awas evam Vikas Parishad, with the assistance of police remove all the encroachments and unauthorized parking, as ordered by this Court from time to time, from the roads, streets, footpaths and pavements. They shall also remove the encroachments from all the colonies of the city....."

Order dated 18.07.2008 (Writ Petition No.2435(M/B) of 2001)

.....the public works department. Development authority, the U.P. Awas evam Vikas Parishad and the Nagar Nigam, with the assistance of local police, shall remove all the encroachments and unauthorized parking, and also demolish the illegal constructions raised on the public land use through out the city. They shall, with the help of National Highways Authority of India, also remove the encroachments from all the National Highways passing through the city.

The senior Superintendent of police, shall provide adequate police force to Development Authority, U.P. Awas evam Vikas Parishad and Nagar Nigam, Lucknow on their demand."

2. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही के लिये समय-समय पर निर्गत आदेशों के क्रम में पुनः ध्यानाकृष्ट करना है कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26 में अतिक्रमणकर्ता को कारावास तथा जुर्माना देने का प्राविधान है। उक्त धारा-26क के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः

1. जो किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त भूमि प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियों को छोड़कर, अधिक्रमण करता है; साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
2. उपधारा-1 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।
3. जो कोई किसी विकास क्षेत्र में किसी मार्ग या भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हों, चाहे उक्त मार्ग या भूमि, प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीड़ियॉ या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री ऐसी अवधि के दौरान रखने जिसकी अनुमति अम्बार फीस के भुगतान पर दी गयी हो, को छोड़कर, भवन निर्माण सामग्री या अन्य कोई चीज रखकर या जमा करके या अन्य किसी प्रकार कोई बाधा पहुॅचता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

E-mail- so7.urbandev-up@nic.in

4. यदि यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, कोई अधिक्रमण किया है या बाधा पहुँचाई है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अतिक्रमण करने वाले या बाधा पहुँचाने वाले व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि उससे, पन्द्रह दिन से अन्यून ऐसी अवधि जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अधिक्रमण या बाधा हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाये और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात लिखित रूप से अभिलिखित किये गये कारणों सहित ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है:

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई अधिक्रमण तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि ऐसे, ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाये, पुनर्वास करने के लिये आनुकल्पिक भूमि या वास-सुविधा प्रस्तावित न कर दी जाय।

3. इसी प्रकार उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा-521 के अधीन नगर आयुक्त द्वारा सामानों को हटाये जाने के संबंध में व्यय की वसूली की व्यवस्था है तथा उ.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-215, 220 के तहत अतिक्रमण हटाने और इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यय वसूले का अधिकार प्राप्त है। अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि का समुचित रख-रखाव एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाये ताकि पुनः उस भूमि पर अतिक्रमण न होने पाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि सड़क, फुटपाथ व नाली/नालों से अतिक्रमण हटाने के तथा सुनियोजित रूप से जलनिकासी की व्यवस्था करने के पश्चात ही सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य करा दिया जाये ताकि पुनः अतिक्रमण की सम्भावना न रहे। सड़क निर्माण के पूर्व व पश्चात संबंधित अभियन्ता इस आशय का प्रमाण-पत्र देंगे कि सड़क के किनारे की नालियों, स्टार्म वॉटर ड्रेनेज् तथा फुटपाथ एवं सड़क की पटरियों का अवरोध एवं अतिक्रमण हटाकर सड़क का निर्माण या मरम्मत करायी गयी है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विचारोपरान्त शासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से किये गये कब्जों के विरूद्ध समयबद्ध रूप से कठोर कार्यवाही करने व अवैध कब्जे की भूमि को अविलम्ब मुक्त कराने विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः सार्वजनिक स्थानों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये निम्नवत् कार्यवाही की जाये:

1. महत्वपूर्ण मार्गों, चौराहों एवं स्थलों की सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाय।
2. राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्ग तथा नगरीय क्षेत्रों के अन्य मुख्य मार्गों एवं उनके किनारे व फुटपाथ इत्यादि पर किये गये अनधिकृत निर्माण हटाये जायें।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अनधिकृत निर्माण जिनके संबंध में नागर निकाय, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं लोक निर्माण विभाग इत्यादि विभागों से सक्षम स्तर पर बिना अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त किये अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये हों, उनके संबंध में भी कार्यवाही की जाये।

E-mail: so7.urbandev-up@nic.in

5. सार्वजनिक भूमि, मार्ग, फुटपाथ और सार्वजनिक पार्क पर यदि अतिक्रमण होता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्ष पर होगी। अतिक्रमण को हटाने और यदि अतिक्रमण हो रहा है, तो उसमें हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य को रूकवाने और उसको भौतिक रूप से हटवाने के लिये नागर निकाय आदि के अधिकारियों को सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष का होगा। प्रत्येक नगरीय थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर नागर निकाय, राज्य सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की जो भी सम्पत्ति है, उसकी सुरक्षा के विषय में यद्यपि वहॉ के थानाध्यक्ष का उत्तरदायित्व सीधे नहीं होगा, तथापि यदि नागर निकाय, राज्य सरकार उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या भारत सरकार के विभाग की ओर से उनकी सम्पत्ति पर अतिक्रमण की शिकायत थाने में दर्ज करायी जाती है, तो थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत तुरन्त दर्ज की जाये और उस पर त्वरित प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

6. जिन क्षेत्रों में नागर निकायों द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है, उक्त अभियान के पश्चात पुनः उक्त स्थल पर अतिक्रमण न होने दिया जाय। इस संबंध में नागर निकाय के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक थाने में एक रजिस्टर बनवाकर रखवा दें जिसमें प्रत्येक अतिक्रमण हटाने की प्रविष्टि अंकित की जाये कि कब, किस समय, कहॉ से अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण हटाने के पूर्व की स्थिति अर्थात अतिक्रमण की स्थिति व अतिक्रमण हटाने के बाद की स्थिति फोटोग्राफ का एलबम भी रखा जाय। उक्त प्रविष्टि पर संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। उक्त प्रविष्टि के पश्चात अतिक्रमण होने पर संबंधित थानाध्यक्ष उत्तरदायी माने जायेंगे।

7. अवैध निर्माण/सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक सहयोग एवं पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान कर्तव्य निवर्हन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

8. उपरोक्त प्राविधानों के अधीन अतिक्रमणकर्ताओं, अतिक्रमण में सहयोग करने वाले व्यक्तियों और अतिक्रमण हटाने में अकर्मण्यता और उदासीनता दर्शित करने वाले कर्मियों के विरूद्ध अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही के साथ-साथ मा. उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना हेतु भी कार्यवाही की जा सकती है।

9- अतिक्रमण हटाने के फलस्वरूप जो सामग्री व मलवा आदि निकलेगा या प्राप्त होगा उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम,1959 की धारा-521, उ.प्र.नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-215/217 तथा उ.प्र.नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-26 के अन्तर्गत जब्त करने, अतिक्रमण हटाने के खर्च की धनराशि वसूलने तथा जब्त सामग्री के निलाम करने की कार्यवाही की जायेगी।

10. अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के संबंध में उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि सार्वजनिक एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण करने वाले तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया जा सके तथा नगरों का नियोजित विकास हो सके।

E-mail: so7.urbandev-up@nic.in

11. अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने की समस्त कार्यवाही पारदर्शिता के साथ सम्पन्न की जाये एवं इसमें किसी भी प्रकार की विभेदकारी प्रवृति नहीं अपनाई जाय।

12. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरूद्ध समय-समय पर की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण मण्डलायुक्त द्वारा किया जायेगा। नगरीय क्षेत्रों के नगर निगमों के नगर आयुक्त, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, आवास आयुक्त व अन्य विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में अतिक्रमण/अवैध निर्माण के चिन्हीकरण, सूचीबद्ध किये जाने, ध्वस्तीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे एवं मण्डलायुक्त से आवश्यकतानुसार निर्देश प्राप्त करेंगे। उपरोक्त की प्रगति की मासिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रेषित की जायेगी।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन बिभाग, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ.प्र. शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
5. प्रबन्धक निदेशक, उ.प्र. जल निगम।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
7. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
8. कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

E-mail: so7 urbandev-up@nic.in

हटाये गये अतिक्रमण की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रारूप।

क्रं	निकाय/जनपद का नाम	कार्यवाही/अतिक्रमण हटाओ अभियान का दिनांक	अतिक्रमण/ध्वस्तीकरण का विवरण				अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध की गयी वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही/वसूली का विवरण।				
							एफ.आई.आर.	अभियोजन	न्यायालय की अवमाननावाद	चलानों/लगाये गये जुर्माने/वसूली का विवरण	जब्त सामान के नीलामी की तिथि/नीलामी से प्राप्त धनराशि का विवरण
			स्थायी अतिक्रमण		अस्थायी अतिक्रमण						
			प्रथमबार I	आवर्ती II	प्रथमबार I	आवर्ती II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

E mail: so7.urbandev-up@nic in